

झारखण्ड विधान सभा



झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित।

ज्ञारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

ज्ञारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहतरवें (69वें) वर्ष में ज्ञारखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—
(1) यह अधिनियम ज्ञारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण ज्ञारखण्ड राज्य में होगा।
(3) यह तुरत प्रवृत होगा।
2. ज्ञारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा—2 की उपधारा—2(ज) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा—
“निजी या वैयक्तिक वाहन से अधिप्रेत वैसे सभी दो पहिया मोटरवाहन (मोपेड, स्कूटर, स्कूटी, मोटरसाइकिल इत्यादि) तथा चार पहिया मोटरवाहन यथा— मोटरकार, ओमनी बस या स्टेशन वैगन, 2 सीट से 12 सीट बैठान क्षमता का (ड्रईवर सहित) जिनका केवल निजी कार्यों में प्रयोग किया जाता है।”
3. ज्ञारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा—5 में नई उपधारा—5(5) निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित की जायेगी—
“5(5)प्रत्येक वाहन स्वामी द्वारा जिनके पास 12 वर्षों से अधिक पुराना निबंधित परिवहन वाहन एवं 15 वर्षों से अधिक पुराना निजी वाहन है, पर कुल कर का 10 प्रतिशत् “हरित कर” के रूप में देय होगा।”
4. ज्ञारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा—5(2) का विलोपन
ज्ञारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा—5(2) एवं संबद्ध अनुसूची—॥ को विलोपित समझा जायेगा।
5. ज्ञारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा—5 में नई उपधारा—5(6) निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित की जायेगी—
“धारा—5(6) सभी वाहन जो केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत ‘बैटरी चालित यान’ परिभासा से आच्छादित होंगे, को कुल कर का 25% (पचीस प्रतिशत) की छूट दी जायेगी।”
6. ज्ञारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा—6 की अनुसूची का प्रतिस्थापन
ज्ञारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा—6 में कर के भुगतान हेतु अनुसूची—॥ को संलग्न अनुसूची—॥ से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
7. ज्ञारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा—7 की अनुसूची का प्रतिस्थापन एवं परन्तुक का प्रतिस्थापन
ज्ञारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा—7 की उपधारा—(1) के अन्तर्गत अनुसूची—1(क) को संलग्न अनुसूची—1(क) से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
“परन्तु इस अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि के उपरांत विर्निदिष्ट अवधि (7 दिनों के अंदर) में एकमुश्त कर जमा नहीं करने तथा विलंब से एकमुश्त कर जमा करने की स्थिति में देय कर का 2% (दो प्रतिशत) साधारण ब्याज प्रतिमाह की दर से अर्थदंड वसूलनीय होगा।”
8. ज्ञारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा—7 की अनुसूची का प्रतिस्थापन
ज्ञारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा—7 की उपधारा—(2) के अन्तर्गत अनुसूची—1(ख) को संलग्न अनुसूची—1(ख) से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

9. झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7(3) में परन्तुक को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जायेगा।

परन्तु प्रत्येक परिवहन वाहन (मालवाहक एवं मोटरकैब को छोड़कर) के मोटर वाहन कर की गणना, व्हील बेस पर आधारित यात्रियों के लिए बैठान संख्या चालक एवं संवाहक को छोड़कर पर निम्नलिखित तालिका में स्तम्भ 2,3 एवं 4 में इंगित संख्या के अनुसार की जायेगी :—

(क) वाहनों के प्रकार के अनुसार व्हील बेस आधारित सीटों की तालिका

व्हील बेस (इच में)	साधारण बस	सेमी डीलक्स बस	ए.सी.डीलक्स / डीलक्स बस
1	2	3	4
243	63	50	45
228	61	49	41
216	55	44	37
210	54	43	36
206	53	42	35
205	53	42	35
203	53	42	35
204	53	42	35
190	48	38	32
180	40	32	27
179	38	30	25
176	37	30	25
167	33	26	22
166	33	26	22
165	33	26	22
163	32	26	21
143	28	22	19
142	25	20	17

(ख) कंपनी द्वारा निर्मित मोटर वाहनों की दशा में, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-126 के अनुसार प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा अनुमोदित सीटों के आधार पर, कर की गणना की जाएगी।

10. झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 में उपधारा 7(4) के परन्तुक में संशोधन

उपधारा-7(4) में अंकित अस्थायी निबंधन कर “रुपये 50” के बदले “100/- (एक सौ) रुपये” एवं “रुपये 100” के बदले “400/- (चार सौ) रुपये” प्रतिस्थापित किया जाता है।

11. झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 में उपधारा 7(5) को परन्तुक सहित निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा इस राज्य में अस्थायी रूप से चलने वाले दूसरे राज्यों के निबंधित परिवहन वाहनों के लिए उस अधिसूचना में विनियिष्ट दर पर कर भुगतान करने पर अस्थायी कर प्रतीक निर्गत किया जा सकेगा।

12. झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 में उपधारा (7) निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित किया जायेगा
 “उपधारा(7) ट्रैक्टर के जी.एस.टी. रहित क्रय मूल्य का 4% (चार प्रतिशत) एकमुश्त आजीवन पथकर देय होगा;
 परन्तु यह कि ट्रैक्टर के ट्रेलर के निबंधन के समय ट्रेलर से 5,000/- (पाँच हजार) रुपये एकमुश्त पथकर वसूलनीय होगा।”
13. झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-9 में उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा
 “परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा पथकर के भुगतान के लिए प्रारम्भ की गयी बैंकों के माध्यम से ई-पेमेंट की विहित प्रक्रिया द्वारा वाहन स्वामी के डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग आदि से जमा की गयी राशि के फलस्वरूप निर्गत कम्प्यूटरीकृत टोकन ही उक्त धारा के अध्यधीन ‘टैक्स टोकन’ व्यवहृत किया जायेगा। इस टोकन पर पदाधिकारी का मूल हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं होगा। इसी प्रकार वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत ‘टैक्स टोकन’ पर भी करारोपण पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं होगा।”
14. झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-12 में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा
 “परन्तु बकाया कर अर्थदण्ड की राशि 50,000 (पचास हजार) रु. तथा तीन पहिया वाहन के लिए 10,000(दस हजार) रु. हल्के मोटर वाहन के लिए 25,000 (पचीस हजार) रु. या अधिक होने की स्थिति में राज्य परिवहन आयुक्त से अन्यून स्तर के पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी आवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्दर बकाया कर/अर्थदण्ड की राशि मासिक किश्तों में वर्तमान कर के साथ स्वीकार कर औपबंधिक कर—प्रतीक निर्गत करने के आदेश दे सकेंगे, जो किसी भी स्थिति में चार किश्तों से अधिक नहीं होगी।”

4
अनुसूची—।
भाग—क

वैयक्तिक वाहनों के लिए एक मुश्त कर की दर—तालिका
(धारा—5 एवं 7 की उप—धारा (1) देखें)

खंड	क्रमांक	निबंधन का स्टेज	वाहनों का वर्णन		
			दो पहिया मोटरवाहन	व्यक्तिगत चार पहिया मोटरवाहन (2 से 12 बैठान क्षमता तक)	खण्ड अ एवं ब कॉलम—5 के अन्तर्गत अतिरिक्त कर
1	2	3	4	5	6
अ		निबंधन के समय अथवा प्रथम निबंधन के समय 1 वर्ष तक की उम्र	एकमुश्त कर वाहन के जी.एस.टी. रहित क्रय मूल्य का 6%	एकमुश्त कर वाहन के जी.एस.टी. रहित क्रय मूल्य का 6%	(i) अतिरिक्त कर 3% की दर से एकमुश्त कर खण्ड अ एवं ब कॉलम—5 में उल्लेखित दर के अतिरिक्त वैसे वाहन स्वामियों से लिया जायेगा जिनके नाम पर
ब		यदि वाहन पूर्व से निबंधित है और उसकी प्रथम निबंधन से उम्र—	खंड अ कॉलम (5) के अधीन उद्घरण किये जाने वाले एकमुश्त कर का प्रतिशत	खंड अ कॉलम (5) के अधीन उद्घरण किये जाने वाले एकमुश्त कर का प्रतिशत	(ii) अतिरिक्त लग्जरी कर 3% की दर से एकमुश्त कर खण्ड अ एवं ब कॉलम—5 में उल्लेखित दर के अतिरिक्त वैसे वाहनों पर लिया जायेगा जिनका जी.एस.टी. रहित मूल्य 15 लाख रुपये से अधिक हो तथा वाहन स्वामी के नाम से पूर्व से कोई व्यक्तिगत वाहन निबंधित नहीं हो।
	1	एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	95 %	95 %	
	2	दो वर्ष से अधिक परन्तु चार वर्ष से कम	90 %	90 %	
	3	तीन वर्ष से अधिक किन्तु चार वर्ष से कम	85 %	85 %	
	4	चार वर्ष से अधिक परन्तु पाँच वर्ष से कम	80 %	80 %	
	5	पाँच वर्ष से अधिक परन्तु छः वर्ष से कम	75 %	75 %	
	6	छः वर्ष से अधिक परन्तु सात वर्ष से कम	70 %	70 %	
	7	सात वर्ष से अधिक परन्तु आठ वर्ष से कम	65 %	65 %	
	8	आठ वर्ष से अधिक परन्तु नौ वर्ष से कम	60 %	60 %	

	9	नौ वर्ष से अधिक परन्तु दस वर्ष से कम	55 %	55 %	
	10	दस वर्ष से अधिक परन्तु ग्यारह वर्ष से कम	50 %	50 %	
	11	ग्यारह वर्ष से अधिक परन्तु बारह वर्ष से कम	50 %	50 %	
	12	बारह वर्ष से अधिक परन्तु तेरह वर्ष से कम	50 %	50 %	
	13	तेरह वर्ष से अधिक परन्तु चौदह वर्ष से कम	50 %	50 %	
	14	चौदह वर्ष से अधिक परन्तु पन्द्रह वर्ष से कम	50 %	50 %	
	15	पन्द्रह वर्ष से अधिक	50 %	50 %	

6
अनुसूची-I

भाग-ख
वैयक्तिक वाहनों के लिए कर वापसी की दर-तालिका
(धारा-7 की उप-धारा (2) देखें)

खंड	वापसी का स्केल	वाहनों का श्रेणी	
		दो पहिया मोटरवाहन	व्यक्तिगत चार पहिया मोटरवाहन (2 से 12 बैठान क्षमता तक)
1	2	3	4
	निबंधन के बाद यदि वाहन के निबंधन का रद्दीकरण या राज्य से वर्द्धगमन किया जाता हो-	अनुसूची। भाग-क के अधीन उदगृहित एक मुश्त कर के रूप में दिए गये कर की वापसी	अनुसूची। भाग-क के अधीन उदगृहित एक मुश्त कर का प्रतिशत के रूप में दिए गये कर की वापसी
1	एक वर्ष के भीतर	92 प्रतिशत्	92 प्रतिशत्
2	एक वर्ष के बाद परन्तु दो वर्ष के भीतर	85 प्रतिशत्	85 प्रतिशत्
3	दो एक वर्ष के बाद परन्तु तीन वर्ष के भीतर	78 प्रतिशत्	78 प्रतिशत्
4	तीन वर्ष के बाद परन्तु चार वर्ष के भीतर	71 प्रतिशत्	71 प्रतिशत्
5	चार वर्ष के बाद परन्तु पाँच वर्ष के भीतर	64 प्रतिशत्	64 प्रतिशत्
6	पाँच वर्ष के बाद परन्तु छः वर्ष के भीतर	57 प्रतिशत्	57 प्रतिशत्
7	छः वर्ष के बाद परन्तु सात वर्ष के भीतर	49 प्रतिशत्	49 प्रतिशत्
8	सात वर्ष के बाद परन्तु आठ वर्ष के भीतर	41 प्रतिशत्	41 प्रतिशत्
9	आठ वर्ष के बाद परन्तु नौ वर्ष के भीतर	33 प्रतिशत्	33 प्रतिशत्
10	नौ वर्ष के बाद परन्तु दस वर्ष के भीतर	25 प्रतिशत्	25 प्रतिशत्
11	दस वर्ष के बाद परन्तु ग्यारह वर्ष के भीतर	17 प्रतिशत्	17 प्रतिशत्
12	ग्यारह वर्ष के बाद परन्तु बारह वर्ष के भीतर	9 प्रतिशत्	9 प्रतिशत्
13	बारह वर्ष के बाद परन्तु तेरह वर्ष के भीतर	शून्य	शून्य
14	तेरह वर्ष के बाद परन्तु चौदह वर्ष के भीतर	शून्य	शून्य
15	चौदह वर्ष के बाद	शून्य	शून्य

7
अनुसूची-।

भाग—ग
मोटर वाहनों की दर—तालिका
(धारा-5 की उप-धारा 1 देखें)

क्रमांक	गाड़ी की श्रेणी	मोटरवाहन कर की वार्षिक दर
1	अशक्त व्यक्तियों के वाहन के लिये	शून्य
2	माल वाहक गाड़ी (ट्रेलर को छोड़कर)	
	क 1000 कि.ग्रा. तक निबंधित लदान क्षमता	i 1000 कि.ग्रा. तक निबंधित लदान क्षमता वाले मालवाहकों पर राज्य में निबंधन के समय निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर ₹. 9000/- उद्गृहित किया जायेगा। परन्तु उक्त श्रेणी के जो माल वाहक पूर्व से निबंधित हैं उन पर एक मुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान की गयी राशि को घटाकर की जाएगी। परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में ₹. 9000/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो एक मुश्त कर देय नहीं होगा।
		ii 10 वर्षों से अधिक पुराने माल वाहकों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एक मुश्त कर ₹. 9000/- उद्गृहीत किया जायेगा। परन्तु उक्त वाहनों द्वारा देय एक मुश्त कर की गणना 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि, जो लागू हो, के बाद भुगतान किये गये राशि को घटाकर की जाएगी; परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में ₹. 9000/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो उसे एक मुश्त कर देय नहीं होगा।
	ख 1000 कि.ग्रा. से अधिक परन्तु 3000 कि.ग्रा. से अनधिक निबंधित लदान क्षमता	i 1001 से 3000 कि.ग्रा. तक निबंधित लदान क्षमता वाले मालवाहकों पर राज्य में निबंधन के समय निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर ₹. 7500/- प्रति टन अथवा उसके खण्ड वजन के दर से देय होगा; परन्तु ऐसे माल वाहक जो पूर्व से निबंधित हैं उन पर एक मुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान की गयी राशि को घटाकर की जायेगी।
		ii 10 वर्षों से अधिक पुराने माल वाहकों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एक मुश्त कर ₹. 7500/- प्रति टन अथवा उसके खण्ड वजन के दर से उद्गृहित किया जायेगा; परन्तु यह कि उक्त वाहनों द्वारा देय एक मुश्त कर की गणना 10 वर्ष या 15 वर्ष की

			<p>अवधि, जो लागू हो, के बाद भुगतान किये गये राशि को घटाकर की जायेगी। परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में प्रति टन अथवा उसके अंश पर ₹. 7500/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो उसे एक मुश्त कर देय नहीं होगा।</p>
	ग	3000 कि.ग्रा. से अधिक निबंधित लदान क्षमता	<p>प्रति टन अथवा उसके अंश के लिए ₹ 800/- रु. वार्षिक</p>
3	क	मोटर कैब एवं ओमनी बस	<p>टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब पर जी.एस.टी. रहित क्रय मूल्य का 7% की दर से 12 वर्षों के लिए एक मुश्त कर उद्गृहित किया जायेगा एवं अगले 5 वर्षों के लिए एकमुश्त कर का 40% एवं 10% हरित कर जोड़कर उद्गृहित किया जायेगा। परन्तु ऐसे वाहनों द्वारा भुगताये एक मुश्त कर की गणना पहले भुगतान की गई कर की राशि को अनुसूची-1 के अनुसार घटाकर की जायेगी।</p>
	ख	तीन पहिया वाहन	<p>क चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर) नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए ₹. 9000 (नौ हजार) एकमुश्त कर देय होगा।</p> <p>अथवा सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हो राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 (दस) वर्षों के लिए एकमुश्त कर ₹.6,000 (छह हजार) देय होगा।</p> <p>अथवा 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त ₹. 6,000 (छह हजार) कर देय होगा।</p>
	ख	7 व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)-	<p>नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए ₹.13,500 (तेरह पाँच हाँसी) एक मुश्त कर देय होगा।</p> <p>अथवा सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हो राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एकमुश्त कर ₹.9,000 (नौ हजार) कर देय होगा।"</p> <p>अथवा दस वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त ₹.9,000 (नौ</p>

		हजार) कर देय होगा।				
4	यात्री परिवहन वाहन					
1	मालवाहक, गोटर के एवं मैक्सी के से अन्यथा पैसेंजर परिवहन वाहन (चालक एवं सवाहक को जोड़कर)	कर की दर वार्षिक (साधारण बस)	कर की दर वार्षिक (सेमी डीलक्स)	कर की दर वार्षिक (डीलक्स)	कर की दर वार्षिक (वाल्वो, मर्सीडीज एवं उसे समतुल्य बस)	
(क)	13 व्यक्तियों से अन्यून और 26 व्यक्तियों से अनधिक बैठान क्षमता	रु. 500 प्रति सीट	रु. 625 प्रति सीट	रु. 735 प्रति सीट	—	
(ख)	27 व्यक्तियों से अन्यून और 32 व्यक्तियों से अनधिक बैठान क्षमता	रु. 550 प्रति सीट	रु. 700 प्रति सीट	रु. 810 प्रति सीट	—	
(ग)	33 व्यक्तियों या उससे अधिक बैठान क्षमता	रु. 650 प्रति सीट	रु. 820 प्रति सीट	रु. 975 प्रति सीट	—	
(घ)	वाल्वो, मर्सीडीज एवं उसके समतुल्य बस	—	—	—	रु. 1250 प्रति सीट	
5	क्रैन, पोकेलेन एवं यांत्रिक खुदाई वाहन (आगे की ओर बेलचा और पीछे की ओर खोदने वाला हस्त सहित अथवा अन्यथा संस्थापित काम करने वाली मशीन) जो सामान्य रूप से जे.सी.बी., बोरिंग मशीन अथवा अन्य निर्माताओं द्वारा निर्मित खोदक मशीन/यान के रूप में जानी जाती हो				यान की जी.एस.टी. रहित कीमत का 7% एकमुश्त कर 12 वर्षों के लिए उद्घर्षीत किया जायेगा। अगले 5 वर्षों के लिए एकमुश्त कर का 40% एवं 10% हरित कर जोड़कर उद्घर्षीत किया जायेगा।	
6	ट्रेलर (ट्रैक्टर टेलर से भिन्न) 5090 कि.ग्रा. से अधिक निर्बंधित लदान क्षमता				ट्रेलर की जी.एस.टी. रहित कीमत का 7% एकमुश्त कर 12 वर्षों के लिए उद्घर्षीत किया जायेगा। अगले 5 वर्षों के लिए एकमुश्त कर का 40% एवं 10% हरित कर जोड़कर उद्घर्षीत किया जायेगा।	

अनुसूची—III
व्यापारी या निर्माता द्वारा देय कर की दर—तालिका।

व्यापारी या निर्माता के अधीन वाहन की विवरणी		व्यापारी या निर्माता के अधीन प्रति वाहन पर वार्षिक कर	
1	दो पहिया वाहन	200.00	दो सौ रुपये प्रति वाहन
2	अन्य वाहन	300.00	तीन सौ रुपये प्रति वाहन
3	भारी वाहनों एवं चेसिस	400.00	चार सौ रुपये प्रति वाहन

यह विधेयक झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2018 दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 को सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है।

(दिनेश उराँव)

अध्यक्ष